INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का महिला विकास के योगदान पर अध्ययन

(Study on Contribution of Women Development of Uttar Pradesh Bhagyalakshmi Yojana)

Kanchan Jain
Research Scholar
Department of Education,
Mangalayatan University,
Aligarh (Uttar Pradesh, India)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/10.2022-72155886/IRJHIS2210004

प्रस्तावना :

उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना 2017 में शुरू की गई थी। यह एक छात्रवृत्ति योजना (बालिकाओं के लिए पैसा) है। भाग्य लक्ष्मी योजना नाम की नई विकास योजना का लक्ष्य कन्याओं को बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार लड़कियों को पालने और शिक्षित करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत गरीब परिवार में जन्मी बेटियों पर परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार 50 हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके इलावा उत्तर प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं को बेटी के जन्म पर 5100 रूपये की धनराशि प्रदान करती है।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा की जाए। इस योजना उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2022 के अंतर्गत जब लड़की छठवीं कक्षा में आ जाएगी तो माता-पिता को 3,000 रुपये, आठवीं कक्षा में 5000 रुपये, कक्षा 10 में 7,000 रुपये और बारवीं कक्षा में 8,000 रुपये दिए जाएंगे।इस योजना के अंतर्गत लड़की के 21 वर्ष की आयु होने तक लड़की के माता-पिता को 2 लाख रुपये का कुल धनराशि) वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। तभी वह इस उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2022 का लाभ उठा सकते है।

उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2022 का उद्देश्य :

बहुत से ऐसे लोग है जो बेटी के पैदा से होने से पहले से मार(कन्या भ्रूण हत्या) कर देते हैं। बहुत से गरीब परिवार पैसों की तंगी की वजह से लड़कियों को पैदा नहीं करते हैं।जिसके कारण से लड़कियों की संख्या कम हो रही

है । इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2022 को आरंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकना । इस योजना के अंतर्गत राज्य के लोगो की बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच को बदलना ।बेटियों के जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाना । उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2022 के अंतर्गत बालिका के जन्म से ही उन्हें पढाई के लिए प्राप्त राशि उपलब्ध होगी। भाग्यलक्ष्मी योजना से लड़कियों का विवाह करने में कोई मुश्किल नहीं होगी ।

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2022 के लाभ :

इस योजना का लाभ राज्य के आर्थिक उप से गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा । उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2022 के अंतर्गत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में 50000 रूपये की धनराशि जमा की जाएगी और माँ को भी 5100 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । इसके अलावा बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपये, कक्षा आठ में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपये तथा कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये दिये जाएंगे। जब लड़की 21 साल की उम्र में पहुँच जाएगी तब 2 लाख रुपये सरकार द्वारा उसके माता-पिता को दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो बेटियों को ही प्रदान किया जायेगा । शिक्षा प्राप्त करने हेतु बालिका का सरकारी शिक्षण संस्थान में दाखिला होना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा का स्तर ऊपर होगा|

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2022 की पात्रता :

1. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए ।
2. जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए।
3. उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2022 के तहत लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।
4. माता-पिता को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
5. बच्ची को स्वास्थ्य विभाग से रोग प्रतिरक्षी करना आवश्यक है।
6. 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बालिकाएँ इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana 2022 के दस्तावेज़ :

1. माता पिता का आधार कार्ड
2. निवास प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. भाग्यलक्ष्मी योजना में हिस्सा लेने के लिए बेटी का जन्म जहाँ हुआ है उस अस्पताल का बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
6. बैंक अकाउंट पासबुक

7. मोबाइल नंबर
8. पासपोर्ट साइज फोटो

प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित बयान 29 मार्च 2021 :

योगी सरकार बच्चियों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए एक खास योजना को चला रही है। महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए चल रही इस योजना का नाम यूपी सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना,योगी सरकार बच्चियों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए एक खास योजना को चला रही है। महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए चल रही इस योजना का नाम यूपी सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना रखा है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।

यह है, आवेदन प्रक्रिया-

आवेदन की प्रक्रिया :

1. सबसे पहले यूपी की महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://mahilakalyan.up.nic.in पर क्लिक करें।
2. भाग्य लक्ष्मी योजना के एप्लीकेशन फार्म का पीडीएफ डाउनलोड करें।
3. पेज डाउनलोड होने के बाद सभी जानकारियों को सावधानी से भरें।
4. फार्म के साथ सभी दस्तावेज अटैच करें।
5. फार्म को डाउनलोड कर उसे प्रिंट कर लें।
6. अब आवेदन फॉर्म को आप आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर दें।

भारत एक नई सोच द्वारा संपादित खबर के अनुसार, गौरतलब है कि लाभ उन बेटियों को ही मिलेगा जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है। बेटी के जन्म के 1 महीने के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन करवाना अनिवार्य है। बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में ही होनी चाहिए। हालांकि बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा।

एबीपी समाचार पत्र की खबर के अनुसार, यूपी में योगी सरकार ने बेटियों को सुरक्षित करने के लिए कई तरह की योजना शुरू की है. वहीं प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकने के लिए भी सरकार ने 'भाग्य लक्ष्मी योजना' चलाई है. इस योजना का मकसद प्रदेश की हर बेटी को सही पालन-पोषण और उसे शिक्षा देना है. बता दें कि इस योजना तहत बेटी के जन्म पर माता-पिता को आर्थिक मदद की जाती है, और बेटी की पढ़ाई के दौरान भी सरकार मदद करती है।

इंडिया टुडे की खबर के अनुसार, भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत, 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले लड़की के जन्म पर 50,000 रुपये का बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या 2 लाख रुपये

प्रति वर्ष से कम आय वाले योजना के लिए पात्र होंगे और महिला कल्याण विभाग भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत ब्लू प्रिंट को अंतिम रूप दे रहा है। लड़की के लिए पैसा

"जैसे-जैसे लड़की बड़ी होगी, उसके माता-पिता को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे, जब एक लड़की कक्षा 6 में पहुँचती है, तो माता-पिता को 3,000 रुपये, उसके बाद कक्षा 8 में 5,000 रुपये, कक्षा 10 में 7,000 रुपये और कक्षा में 8,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 12. इसके बाद, लड़की के 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक माता-पिता को 2 लाख रुपये प्राप्त होंगे, "शर्मा ने बताया।

नवभारत टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार, लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरुष-महिला लिंगानुपात सुधारने के लिए 'भाग्यलक्ष्मी योजना' शुरू की थी। भाग्य लक्ष्मी योजना को 'मनी फॉर गर्ल चाइल्ड' योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसे योगी ने साल 2018 में शुरू थी और इसके लिए पंजीकरण जारी हैं। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।

संदर्भ :

1. https://icdsupweb.org › up-bhagya-l
2. https://www.yogiyojana.co.in › up-b...
3. https://www.patrika.com › bhagya-l...
4. Bhagya Lakshmi Yojana:
5. https://pmmodiyojanaonline.in › up-...
6. https://www.indiatoday.in › story
7. https://www.timesnowhindi.com › b...
8. https://jslps.org › bhagya-lakshmi-y...
9. https://jslps.org › bhagya-lakshmi-y...
10. https://www.abplive.com › up-uk